संख्या-18/2018/31/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी 2018

विषयः-सुश्री इन्दू मेहता पुत्री श्री निवास मेहता, निवासी-बडौत, जनपद-बागपत की वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4876/स.क./शिक्षा-अ/04/62/2017-18, दिनाक-28.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश के अनुपालन में याची छात्रा सुश्री इन्दू मेहता पुत्री श्री निवास मेहता निवासी-बडौत बागपत की वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-1674600/-(रूपये सोलह लाख चौहत्तर हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर लम्बित केन्द्रांश के प्राप्त होने पर उक्त धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-18/2018/31 (1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. श्री पी0एस0 मेहता, रिसर्च आफिसर, मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागपत।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।